

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

2-18 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 27-3-18 को पेश हो।

27/3

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 19-4-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10-4-18 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने T.D.R माण्डल से मौका डिपॉट हेतु निवेदन किया। वास्ते T.D.R माण्डल से मौका डिपॉट हेतु लिखा जाये। पत्रावली वास्ते मौका डिपॉट बे रजिस्टर हेतु दिनांक 15-5-18 को पेश हो।

4-6-18

पत्रावली केम...वास्ते...के पेश हो। जागामी दिनांक...22-6-18...के पेश हो।

26-6-18

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 28-8-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28-8-18 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण अनुपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत प्रस्तुत कर अपनी रकबतदारी आरा जी सं. 1082, 1083, 1085, 1806, 1092 फुल कित 05 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि जो ग्राम चांखेड पखार हल्का चांखेड तहसील मांडल में स्थित है जिस पर कृषि कार्य के लिए आने-जाने सुझाई हेतु रेक्टर, सज बैल व पैदल आने जाने एवं फसल अवरने हेतु कदीमी

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला पीलवाड़ा

तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

रास्ता ग्राम-चौखंड की आराजी नं- 1081 रकबा 01 बीघा
11 बिस्वा एवं आराजी नं- 1081/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा
की पूर्वी दिशा की मैड़ के सहारे-सहारे होते हुए 20 फीट
चौड़ा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु निवेदन
किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट
ली गई कि खातेदार श्री धर्मचंद्र 5/10 श्री रामलाल महाजन
ग्राम-चौखंड तहसील मांडल दर्ज रेकार्ड है। उक्त प्रकरण में
प्रार्थी के खाते की भूमि में जाने हेतु विपक्षीय अंतरसिद्ध
मंसिंह अमरसिंह पिता हनुमंतसिद्ध, श्रीमती सोनू कंवर पत्नी
हनुमंतसिंह व बाबुसिंह पिता अरसिंह राजपूत की आराजी
संख्या 1081, 1081/1 कुल कित्ता 02 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा
भूमि में पूर्वी दिशा में बाही द्वारा चाहा गया बांक्ति रास्ता
चौड़ाई 2 गज 8 सेंटीमीटर 40 गज कुल 0.04 बिस्वा भूमि
लाहौर रोड की नियमानुसार छोड़कर उत्तर-दक्षिण आने
जाने वाली प्रार्थी की ख-नं- 1082, 1079 में कृषि उपयोग
करने हेतु काम में लिया जाना है। माँके पर 1081/1 व 1081
कुल 04 बिस्वा का बांक्ति रकबा पड़त भूमि है। माँके पर
रास्ता हेतु उक्त भूमि का रकबा 04 बिस्वा उपयुक्त है। जो
बाही प्रार्थी के सुविधाजनक होना बताया गया है।

आदेश

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट
तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों पर अध्ययन कर मनन
किया गया। प्रार्थी की ग्राम-चौखंड पटवार हल्का-चौखंड
तहसील मांडल में स्थित आराजी नं- 1082, 1083, 1085,
1086, 1092 कुल कित्ता 05 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा
पर आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज
नहीं है। पड़ोसी खातेदार की आराजी नं- 1081/1 व
1081 में से आने जाने की तहसीलदार मांडल में ताहिद
की है। इसके अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं
है।

अतः तहसीलदार मांडल को आदेशित किया जाता है।
कि ग्राम-चौखंड पटवार हल्का-चौखंड तहसील मांडल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भातवाड़ा

मे स्थित आराजी नं० 1081/1 मे से 03 बिस्वा एंव 1081
मे से 01 बिस्वा कुल 04 बिस्वा भूमि (लगभग 20 फीट चौड़ा)
राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने के साथ ही प्रार्थी श्री
दामचन्द पिता श्री रामलाल महाजन निवासी चांखेड तहसील
मांडल से वर्तमान मे प्रचलित D.L.C. दर की राशि
दुगनी राशि वसूल की जाकर ग्राम-चांखेड परिवार
हल्का-चांखेड के आराजी संख्या 1081/1, 1081 के मूल
खातेदारी को भुगतान किया जावे एंव शस्ते हेतु उपयोग
मे आने वाली भूमि का राजस्व नक्शे मे तरमीम किया
जावे।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला पीतबड़ा